**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 944**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्तर**

**दुर्घटनाओं के पीड़ि‍तों को मुआवजे का समय पर भुगतान**

**944. श्री सन्तियुस कुजूर:**

 **क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

1. क्‍या गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;
2. हाल ही में घटित रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि के प्रमुख कारण क्‍या है;
3. दुर्घटनाओं को टालने तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है;
4. क्‍या सभी पी‍ड़ि‍तों को पर्याप्‍त और समय पर मुआवजे का भुगतान किया गया है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्‍या हैं; और
5. लंबित मामलों की अंचल-वार संख्‍या तथा ऐसे मामलों में मुआवजे के शीघ्र भुगतान हेतु की गई कार्रवाई का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

 (क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दुर्घटना के पीडि़तों को मुआवजे का समय पर भुगतान के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्य सभा में श्री सन्तियुस कुजूर द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 944 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क) जी नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं (बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं सहित) 2015-16 में 107 से घटकर 2016-17 में 104 और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 87 की तुलना में चालू वर्ष में (15 दिसंबर, 2017 तक) यह और भी घटकर 52 रह गई।

(ख) पिछले दो वर्षों 2015-16, 2016-17 और चालू वर्ष अर्थात 2017-18 (15 दिसंबर, 2017 तक) के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **प्रमुख कारण**  |  **2015-16** |  **2016-17** | **2017-18** **(15 दिसंबर तक)** |
| रेल कर्मचारियों की विफलता  |  55 | 64 | 31 |
| रेल कर्मचारियों से इतर की विफलता  | 38 | 22 | 14 |
| उपस्‍कर की विफलता  | 2 |  2 | 0 |
| तोड़-फोड़  | 1 | 2 | 1 |
| मिले-जुले कारणों से  | 1 | 3 | 1 |
| आकस्मिक  | 9 | 7 | 4 |
| सिद्ध नहीं किए जा सके/किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका  | 1 | 0 | 0 |
| जांच की जा रही है  | 0 | 4 | 1 |
| **कुल जोड़**  | **107** | **104** | **52** |

(ग): भारतीय रेलों में संरक्षा को सर्वोच्च‍ प्राथमिकता दी जाती है और गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन सहित निरंतर आधार पर हरसंभव कदम उठाए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव, बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त करना, रेलपथ, चल स्टॉंक, सिगनल और इंटरलॉकिंग प्रणालियों के रखरखाव और उन्नयन हेतु यथोचित प्रौद्योगिकियां अपनाना, संरक्षा अभियान चलाना, कार्मिकों के प्रशिक्षण पर अधिक जोर और निगरानी के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण और संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों को शिक्षित करना शामिल है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संरक्षा उपकरणों/प्रणालियों में संपूर्ण रेलपथ परिपथन, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (बीपीएसी) की व्यवस्था, गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्यूएस), कलर लाइट एलईडी सिगनल, सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी), 60 किग्रा और पूर्व-बलित कंक्रीट स्लीपर का प्रयोग, लंबे रेल पैनल, बेहतर वेल्डिंग प्रौद्योगिकी, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शकन (यूएसएफडी) के लिए डिजिटल किस्म की मशीनें, ट्रैक रिकार्डिंग कारों (टीआरसी) और पोर्टेबल ऑसिलेशन निगरानी प्रणाली (ओएमएस) का प्रयोग करते हुए रेलपथ की इलेक्ट्रोनिक निगरानी, लिंके हॉफमेन बुश (एलएचबी) सवारी डिब्बों का उत्तरोत्‍तर प्रयोग शामिल है। संवर्द्धित संरक्षा विशेषताओं के लिए सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) द्वारा निर्मित सवारी डिब्बों में सेंटर बफर कपलर की व्यवस्था की जा रही है। अन्य उपायों में लोको पायलटों और संरक्षा कोटि के अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उनके समुचित विश्राम तथा आवधिक रूप से चिकित्सा जांच आदि के साथ-साथ काम करने की स्थितियों में सुधार लाना शामिल है। इसके अलावा, रेलवे के संरक्षा पहलुओं की सतत् रूप से निगरानी करने और सुधार लाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान, निर्धारित समय पर निरीक्षण, रेलपथ की पेट्रोलिंग, फुटप्लेट निरीक्षण और विभिन्न स्तरों पर संरक्षा समीक्षाएं नियमित रूप से की जाती हैं।

(घ) जी हां। जैसे ही दुर्घटना घटित होती है, पीडि़तों के तात्कालिक व्यय को पूरा करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा अनुदान राहत प्रदान की जाती है। मुआवजे की राशि पर निर्णय, रेल दावा अधिकरण द्वारा रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना (प्रतिकर) नियम, 1997 के अनुसार डिक्री देकर निर्णय लिया जाता है। यदि अधिकरण (आरसीटी) द्वारा दी गई डिक्री को रेलों द्वारा लागू किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो मुआवजे की राशि का भुगतान रेलों द्वारा किया जाता है। मृत्यु के लिए मुआवजे की राशि 8 लाख रुपए और चोट की गंभीरता के अनुसार मुआवजे की राशि 64,000 रुपए से 8 लाख रुपए है।

(ङ) 15.12.2017 तक गाड़ी दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजा दावों के लंबित मामलों की कुल संख्या 419 है। लंबित दावा मामलों का जोन-वार विवरण अनुलग्नक-I पर संलग्न है। रेल दावा अधिकरण के सम्मुख दावे को दायर किए जाने के पश्चात अधिकरण द्वारा दी गई डिक्री के आधार पर रेलों द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाता है। आरसीटी, रेलों से स्वतंत्र एक अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। दावा मामलों के तीव्र निपटान के लिए उठाए गए कदम परिशिष्‍ट-II पर संलग्न है।

\*\*\*\*\*

दुर्घटना के पीडि़तों को मुआवजे का समय पर भुगतान करने के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्य सभा में श्री सन्तियुस कुजूर द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 944 के भाग (ङ) के उत्तर से संबंधित **परिशिष्‍ट-I**

(ङ) 15.12.2017 को धारा 124 के अंतर्गत अखिल भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं के मामलों की संख्या

|  |  |
| --- | --- |
| रेलवे  | मामलों की संख्‍या |
|  | मृत्‍यु  | घायल  | परिसंपत्ति की हानि  | गुम यात्री  |
| मध्‍य  | 6 | 4 | 0 | 1 |
| पूर्व मध्‍य  | 10 | 10 | 0 | 0 |
| पूर्व तट  | 0 | 5 | 0 | 0 |
| पूर्व  | 14 | 35 | 0 | 0 |
| उत्‍तर मध्‍य  | 38 | 23 | 0 | 0 |
| पूर्वोत्‍तर  | 18 | 19 | 0 | 0 |
| पूर्वोत्‍तर सीमा  | 0 | 3 | 0 | 0 |
| उत्‍तर  | 56 | 49 | 0 | 0 |
| उत्‍तर पश्चिम  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| रेलवे बोर्ड  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दक्षिण मध्‍य  | 3 | 1 | 0 | 0 |
| दक्षिण पूर्व  | 39 | 22 | 0 | 1 |
| दक्षिण पूर्व मध्‍य  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दक्षिण  | 0 | 7 | 0 | 0 |
| दक्षिण पश्चिम  | 28 | 25 | 0 | 0 |
| पश्चिम मध्‍य  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पश्चिम  | 2 | 2 | 0 | 0 |
| जोड़  | 214 | 205 | 0 | 2 |

\*\*\*\*\*

दुर्घटना के पीडि़तों को मुआवजे का समय पर भुगतान करने के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्य सभा में श्री सन्तियुस कुजूर द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 944 के भाग (ङ) के उत्तर से संबंधित **परिशिष्‍ट-II**

(ङ) क्षतिपूर्ति दावों के तीव्र निपटान के लिए उठाए गए कदम

1 सभी क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि जैसे ही किसी यात्री गाड़ी की दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना होती है तो सभी घायल और हताहत व्यक्तियों के ब्यौरे प्राप्त किए जाए, दावा आवेदनों को दावाकर्ताओं के पास भेजा जाए और रेल दावा अधिकरण की संबंधित खंडपीठ को भी रिकार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2 जब सुनवाई के लिए दावा प्रस्तुत किया जाता हे, रेलों को तीव्र निपटान के लिए अधिकरण की सभी संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

3 आरसीटी से नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ऐसे मामलों में रेलों द्वारा लिखित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4 किसी दावे की राशि पर डिक्री आने के पश्चात रेलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि 15 दिनों के भीतर चैक जारी और भेज दिए जाते हैं।

5 दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों के संबंध में वित्त की पूर्व सहमति हटा दी गई है।

6 मुख्य दावा अधिकारियों को 8 लाख रुपए तक दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों की डिक्री के लिए शक्तियां दी गई हैं।

7 आवेदक पूर्व की दुर्घटना में दावा करने की व्‍यवस्‍था स्थान के बदले में उसके आवास के स्थान अथवा उसके टिकट खरीदने के स्थान अथवा जहां दुर्घटना हुई अथवा अप्रिय घटना हुई हो अथवा जहां गंतव्य स्टेशन है, के क्षेत्राधिकार वाली रेल दावा अधिकरण के खंडपीठ में दावा प्रस्तुत कर सकता है।

8 जहां लंबित मामलों की संख्‍या अधिक है, उन स्‍थानों पर आरसीटी खंडपीठों पर सर्किट बैंचें आयोजित करना। अब दुर्घटना के स्थान पर भी सर्किट बैंचे आयोजित की जाती है।

9 क्षेत्रीय रेलों को जब कभी भी खंडपीठों में अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त होते हैं, उन्हें तुरंत भरने के निदेश दिए गए हैं।

10 रेल दावा अधिकरण के सम्मुख दावा आवेदनों के लिए प्रत्येक मामले में अधिकतम तीन स्थगन की अनुमति दी गई है।

11 रेल दावा अधिकरण को इसके सम्मुख प्रस्तुत मामले की अंतिम सुनवाई के 21 दिन के भीतर अंतिम आदेश पास करना होता है।

12 अंतिम आदेश पास होने के 3 तीन दिन के भीतर आवेदक को बिना किसी लागत के दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे के लिए रेल दावा अधिकरण के आदेश की एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

13 ''दुर्घटना'' के संबंध में क्षतिपूर्ति दावों से संबंधित नियमों एवं पद्धतियों को भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात www.indianrailways.gov.in. पर डाला गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के आवेदन फार्म भी हैं, जिनकी क्षतिपूर्ति दावों को दायर किए जाने के लिए आवश्यकता होती है।

\*\*\*\*\*